प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2022**
प्र0इ0रि0 सं. 178/22 **दिनांक** 11/5/2022

2. **(I) अधिनियमः–** भ्रष्टाचार निवारण धारायें 7
(संशोधित) अधिनियम 2018
(II) **अधिनियम** ....**भा.दं.सं.**..... **धारायें** सपठित 120बी
(III) **अधिनियम** ..... **धारायें** .....
(IV) **अन्य अधिनियम एवं धारायें** **भा0दं0सं0**.....

(अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या** 235 **समय** 5:30 Pm
(ब) **अपराध घटने का दिन–शुक्रवार दिनांक नवम्बर 2020**
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** .....

4. **सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक–** **लिखित**

5. **घटनास्थलः–** प्लाट नं. 59बी2, एस.एम.एस. कॉलोनी, शिप्रापथ, महारानी फार्म, मानसरोवर, जयपुर
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब दक्षिण–पश्चिम करीब 07 कि.मी.
(ब) **बीट संख्या**.....**जयरामदेही सं**.....
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना .....**जिला** .....

6. **(प)परिवादी /सूचनाकर्ता :–**
(अ) **नाम** – श्री शंकरलाल जाट
(ब) **पिता/पति का नाम–** श्री किशन लाल जाट
(स) **जन्म तिथी– उम्र–** 47 वर्ष
(द) **राष्ट्रीयता** – भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या** .....**जारी होने की तिथि**
जारी होने की जगह .....
(र) **व्यवसाय–** मजदूरी
(ल)पता– प्लाट नं. 59बी2, एस.एम.एस. कॉलोनी, शिप्रापथ, महारानी फार्म, मानसरोवर, जयपुर

7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –**
1– श्री अमित जैन निरीक्षक ग्रेड–प्रथम, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर
2– श्री अनिल मित्तल तत्कालीन उप निदेशक, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर
3– अन्य

8. **परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–**.....

9. **चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)**....

10. **चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य– 15,000/–**

11. **पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)** .....

12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–**

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 18.10.2021 को श्री एम.एम. गुर्जर अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर द्वारा श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर के नाम जरिये डाक एक शिकायत पेश की तथा साथ में रिश्वत लेन देन से संबंधित एक सी.डी. भी पेश की। श्रीमान महानिदेशक महोदय द्वारा उक्त शिकायत पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम पृष्ठांकन कर बिन्दुवार जांच करने के आदेश दिये गयें। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई सी.डी. का अवलोकन किया गया तो उक्त सी.डी. में दो विडियों क्लिप तथा 07 ऑडियों क्लिप पाई

गई। उक्त विडियों एवं ऑडियों क्लिप का परीक्षण हेतु सी.डी. को दिनांक 29.10.2021 को एफ.एस.एल. जयपुर में भिजवाया गया। दिनांक 10.12.2021 को एफ.एस.एल. जयपुर से उक्त विडियों तथा ऑडियों क्लिपों की एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें विडियों के संबंध में लिखा हुआ है कि उक्त विडियों क्लिपों के साथ किसी प्रकार की कोई कांट छांट नहीं की गई है। श्रीमान उप रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, जयपुर खण्ड, जयपुर तथा श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–जयपुर दक्षिण, जिला जयपुर से प्राथमिक जांच से संबंधित रिकार्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद उक्त विडियों से संबंधित व्यक्ति श्री शंकरलाल जाट पुत्र श्री किशन लाल जाट निवासी प्लाट नं. 59बी2, एस.एम.एस. कॉलोनी, शिप्रापथ, महारानी फार्म, मानसरोवर, जयपुर को तलब कर बयान दर्ज किये गये। श्रीमति सुषमा महेश्वरी पुत्र श्री मुकेश महेश्वरी जाति महाजन उम्र 51 साल निवासी एम 60, महेश कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर जयपुर के बयान लेखबद्ध किये गये।

उक्त शिकायत की जांच से पाया गया है कि हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. डी–20, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर के नाम से एक गृह निर्माण सहकारी समिति जिसमें श्री भूपेन्द्र सिंह व्यवस्थापक व संस्थापक के द्वारा खसरा नम्बर 51, महारानी फार्म, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर में एक स्कीम एस.एम.एस. कॉलोनी ब्लाक बी विस्तार के नाम से काटी थी। जिसमें प्लाट नं. 34, 333 वर्गगज, प्लाट नं. 35, 260 वर्गगज तथा प्लाट नं. 36, 300 वर्गगज का था, जो श्री नगजीराम के नाम से आवंटित किये हुये थे। प्लाट नं. 37, 200 वर्गगज श्री भैरूराम के नाम से आंवटित किया हुआ था, उस प्लाट के दो टुकडे कर बेचे गये जिसमें से एक टूकडा प्लाट नं. 37, 100 वर्गगज श्री प्रभूलाल के नाम तथा दुसरा प्लाट नं. 37ए, 100 वर्गगज ईश्वर लाल के नाम से आंवटित किये गये। स्कीम के प्लाट नं. 34, 35, 36 को श्री नगजीराम से श्री भूपेन्द्र सिंह व्यवस्थापक ने जरिये ईकरारनामा खरीद रखे थे। श्री भूपेन्द्र सिंह ने अपने प्लाट नं. 34, 35, 36 तथा श्री प्रभुलाल ने अपना प्लाट नं. 37 को बेचने के लिए श्री शंकर लाल जाट पुत्र श्री किशन लाल जाट जाति जाट उम्र 47 साल निवासी प्लाट नं. 59बी2, एस.एम.एस. कॉलोनी, शिप्रापथ, महारानी फार्म, मानसरोवर, जयपुर अधिकृत कर रखा था।

उक्त चारों प्लाटों में से जिसमें प्लाट नं. 34 व 35 श्री शंकर सिंह के नाम तथा 36 व 37 श्री नितिन मिश्रा के नाम के नाम से सोसायटी के नाम से जारी पट्टे पुलिस थाना शिप्रापथ पर पेश किये गये। इसके बाद उक्त प्लाटों के संबंध में पुलिस थाना शिप्रापथ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 246/2020 पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा दौराने अनुसंधान थानाधिकारी, पुलिस थाना शिप्रापथ द्वारा उक्त चारो प्लाटों पर उक्त चारों प्लाटों को 145 सी.आर.पी.सी. के तहत रिसीवरी हेतु 145 सी.आर.पी.सी. का ईस्तगासा न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट–दक्षिण, जिला जयपुर के न्यायालय में 31.06.2020 को प्रस्तुत किया गया।

इसके बाद श्री अमित सोगानी, श्री शंकर सिह व श्री नितिन मिश्रा ने श्री अनिल मित्तल, उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जयपुर के पास वाद पेश किया एवं उक्त वाद पर अन्तिम निर्णय दिये जाने तक स्टे जारी कर दिया गया। इसके बाद हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. डी–20, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर द्वारा प्लाट नं. 34 व 35 श्री शंकर सिंह के नाम तथा प्लाट नं. 36 व 37 श्री नितिन मिश्रा के नाम पट्टे फर्जी होने से संबंधित सूचना दी गई। उक्त सूचना पुलिस थाना शिप्रापथ, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर व न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण को दी गई। इसके बाद जे.डी.ए. जयपुर द्वारा भी उक्त प्लाट नं. 34, 35 व 36, 37 के संबंध में भी श्री शंकर सिंह व श्री नितिन मिश्रा के नाम से कोई रिकार्ड नहीं होना बताया एवं फर्जी दस्तावेजात तैयार करना बताया तथा गलत मोहर व हस्ताक्षर से दस्तावेजो का दुरूपयोग करना बताया। इसके अलावा हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. डी–20, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर

द्वारा जे.डी.ए. में एस.एम.एस. कॉलोनी, ब्लाक बी विस्तार स्कीम के प्लाटों को जो सूची पेश की गई थी उसमें क्रम संख्या 18 व 19 पर श्री नगजीराम व श्री भैरूराम का नाम अंकित होना पाया गया। श्री शंकर सिंह व श्री नितिन मिश्रा का नाम कहीं पर भी नहीं होना पाया गया। इसके अलावा तहसीलदार जोन 05, जे.डी.ए. द्वारा श्री शंकर सिंह व श्री नितिन मिश्रा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर व थानाधिकारी पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर को पत्र जारी होना पाया गया।

इसके अलावा श्री शंकर लाल जाट द्वारा यह भी बताया गया कि जनवरी 2020 के आस पास श्री अनिल मितल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर शहर उसके पास उक्त चारों प्लाटों को खरीदने के लिए गया था तो उसने उक्त चारों प्लाटों का भाव 20,000 रूपये प्रति वर्गगज के हिसाब से बताये तथा श्री अनिल मितल में मुझे 15000 प्रति वर्गगज के हिसाब से बताये थे तो उसने मना कर दिया था, तो श्री अनिल मितल ने श्री शंकर लाल आईन्दा देख लेने की धमकी दी गई।

इसके बाद अक्टूबर 2020 में श्री अचल सिंह चौहान, निरीक्षक, कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर शहर द्वारा उक्त प्लाटों की नाप चौक की गई और उससे श्री शंकर लाल से 10,000 रूपये रिश्वत मांग कर उक्त राशि लिफाफे प्राप्त की गई। इसके बाद नवम्बर 2020 में श्री अमित जैन, निरीक्षक, कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर शहर ने परिवादी श्री शंकर लाल जाट को अपने कार्यालय में बुलाया तथा कहा कि आपकी जांच मेरे को दे दी है श्री अनिल मित्तल साहब ने और आपके पक्ष में फैसला देने के लिए 02 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद श्री अमित जैन ने रिश्वत राशि लेने प्राप्ति करने के लिए परिवादी श्री शंकर लाल को फोन किया तो श्री शंकर लाल ने श्री अमित जैन को अपने घर ही बुला लिया। श्री अमित जैन जब रिश्वत राशि लेने के लिए उसके घर गया तो उसके लडके ने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर छिपा दिया। इसके बाद श्री अमित जैन ने जब श्री शंकर लाल से रिश्वत राशि मांगी तो उसने 500–500 के 30 नोट कुल 15000 रूपये, जिसको श्री अमित जैन ने अपने हाथों से गिनकर अपने पर्स में रख लिये तथा श्री अनिल मित्तल के लिए 02 लाख रूपये की मांग की, और इसके अलावा श्री अमित जैन ने यह भी कहा कि साहब अगर 02 लाख रूपये में नहीं मानेगें तो यह 15,000 रूपये आपको वापस लोटा देगें। इसके बाद श्री शंकर लाल ने कहा कि आप 01 लाख रूपये में ही मनाओं साहब को तो उसने साफ मना कर दिया कि 02 लाख रूपये से कम नहीं होगें। उक्त सारी बाते कैमरे में रिकार्ड हो गई, इसके बाद कुछ दिन बाद ही श्री अमित जैन ने श्री शंकर लाल को फोन कर बताया कि श्री अनिल मित्तल साहब ने उसकी जांच से हटा दिया है और उसके पक्ष में फैसला करने के लिए 500 वर्गगज का प्लाट रिश्वत में देने के लिए कहा गया है। इसके बाद श्री शंकर लाल ने बताया कि उसके द्वारा जो सी.डी. पेश की है उसमें श्री ओ.पी. यादव व उसके मध्य फोन पर हुई वार्ता है जो उसके द्वारा रिकार्ड की गई है। इसके बाद ओ.पी. यादव, निरीक्षक उप रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर शहर द्वारा श्री शंकर लाल के खिलाफ दिनांक 11.02.2021 को फैसला दे दिया है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर दक्षिण, जयपुर में 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही पेण्डिगं है।

श्री अनिल मित्तल तत्कालीन उप निदेशक, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग किया तथा श्री अमित जैन द्वारा परिवादी श्री शंकर लाल से 02 लाख रूपये रिश्वत के श्री अनिल मित्तल तत्कालीन उप निदेशक, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर के लिए मांग कर 15000 रूपये प्राप्त किये है जिसका विडियों परिवादी श्री शंकर लाल जाट द्वारा अपने पुत्र के मोबाइल से बनाकर पेश किया है।

इस प्रकार श्री अनिल मित्तल तत्कालीन उप निदेशक, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर ने अपने पदस्थापन कार्यकाल में परिवादी श्री शंकरलाल की वाद पत्रावली में बार बार पंच निर्णायक जानबुझ कर बदले गये, श्री अनिल मित्तल द्वारा परिवादी के कथनों अनुसार उससे 500 गजभूमि के प्लाट की मांग की गई एवं श्री अनिल मित्तल द्वारा श्री अमित जैन के माध्यम से परिवादी श्री शंकर लाल से 02 लाख रूपये रिश्वत मांग की गई एवं उस ही श्री अमित जैन द्वारा 15000 रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किये है। अतः आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री अनिल मित्तल तत्कालीन उप निदेशक, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर तथा श्री अमित जैन निरीक्षक ग्रेड–प्रथम, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. में विस्तृत अनुसंधान हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हेतु श्रीमान की सेवा में पेश है।

(पृथ्वेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एस.यू. द्वितीय,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल यूनिट, द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में 1. श्री अमित जैन, निरीक्षक ग्रेड-प्रथम, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर खण्ड, जयपुर एवं 2. श्री अनिल मित्तल, तत्कालीन उप निदेशक, रजिस्ट्रार सहाकारी समितियां, जयपुर खण्ड, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 178/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1577-82 दिनांक 11.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-पीई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर(पी.ई 09/21)।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।